संख्या-34/2015/815/47-का-3-2015-9/128/2014टी.सी.

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्अर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अुनभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 27 मई, 2015**

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-2016 में सेंटर फार गुड गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश के व्यय के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी के पत्रांक-सी.जी.जी./बजट/20, दिनांक 06.04.2015 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ को सेंटर फार गुड गवर्नेन्स (सुशासन केन्द्र) उत्तर प्रदेश के व्यय हेतु सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2015-2016 हेतु आय-व्ययक के अन्तर्गत उ0प्र0 विनियोग अधिनिमय, 2015 (अधिनियम संख्या-2 सन 2015 द्वारा स्वीकृत व्यय के लिए रू0-18,75,000/- (रूपये अटठारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि का 1/2 भाग अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासिनक सेवाएं-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04-सेंटर फार गुड गवर्नेन्स' के निम्नलिखित मानक मदों/ उपशीर्षो में सम्मुख अंकित धनराशि माह अप्रैल, 2015 से सितम्बर, 2015 तक के व्यय हेतु अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

धनराशि (रूपये हजार में)

उपशीर्ष/ मद का नाम	**वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्राविधानित आय-व्यय/ अनुदान धनराशि**	**माह (अप्रैल, 2015 से सितम्बर, 2015 तक) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि**
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन)	1875	937.5
योग	**1875**	**937.5**

(रूपये नौ लाख सैंतीस हजार पांच सौ मात्र)

2- उक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार शासन की पूर्व सहमति/ अनुमोदन से किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का आहरण राजकोष से एक मुश्त नही किया जायेगा, बल्कि उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा उक्त धनराशि का बिल महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा तैयार किया जायेगा एवं उक्त बिल को उप सचिव, नियुक्ति विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर धनराशि का आहरण महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा किया जायेगा।

4- अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासिनक सेवाएं-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04-सेंटर फार गुड गवर्नेन्स-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के मद के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-34/2015815(1)/47-का-3-2015-9/128/14टी0सी0, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- उप सचिव, नियुक्ति अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
6- नियुक्ति अनुभाग-6 (लेखा कोष्ठक) उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजय कुमार सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।